शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-22/2016/567/बावन-1-2015-16(एम०एस०डी०पी०)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 18 फरवरी, 2016

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत **जनपद मुजफ्फरनगर** के ग्राम-जसोई में जर्जर प्राइमरी स्कूलों के निर्माण हेतु केन्द्रांश की अवशेष **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(3)/2012-पी0पी0, दिनांक 03.12.2012 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-2279/52-1-13-16(एम०एस०डी०पी०)/13, दिनांक 15 मई, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे उक्त जनपद के ग्राम-जसोई में जर्जर प्राइमरी स्कूलों के निर्माण हेतु **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए धनराशि की **प्रथम किश्त** अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(3)/2012-पी0पी0, दिनांक 23.06.2015 से उक्त योजना हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 05.49 लाख के सापेक्ष अवशेष **द्वितीय किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 2,74,000/- (रू0 दो लाख चौहत्तर हजार मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 1,04,750/- (रू0 एक लाख चार हजार सात सौ पचास मात्र) अर्थात् कुल रू0 4,21,500/-(रू0 चार लाख इक्कीस हजार पांच सौ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (के0+रा0)	वर्तमान में अवमुक्त **द्वितीय किश्त**		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुजफ्फरनगर	ग्राम-जसोई में जर्जर प्राइमरी स्कूलों के निर्माण हेतु	02	04.22	05.49	02.95	04.225	02.74	1.475	4.215
		योग	**02**	**04.22**	**05.49**	**02.95**	**04.225**	**02.74**	**1.475**	**4.215**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। ग्राम-जसोई में जर्जर प्राइमरी स्कूलों का निर्माण 03 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ग्राम-जसोई में जर्जर प्राइमरी स्कूलों के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों सहित गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य से सम्बन्धित सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

http://prasnadesh.up.nic.in

6- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत ग्राम-जसोई में जर्जर प्राइमरी स्कूलों के निर्माण पर एक बोर्ड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की लागत, बजट का स्रोत, कान्ट्रेक्टर का नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि का अंकन होगा। कार्य के पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से विवरण अंकित किया जायेगा।

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। ग्राम-जसोई में जर्जर प्राइमरी स्कूलों के निर्माण हेतु की विशिष्टियाँ, मानक, भवन एवं उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

8- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

11- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

13- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित

http://shasanadesh.up.nic.in

कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

14- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

15- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800- अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0107-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय प्राइमरी स्कूलों का भववन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0 75/रा0 25-के0+रा0)**-24- वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

16- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- (1)/बावन-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत ग्राम-जसोई में जर्जर प्राइमरी स्कूलों के निर्माण हेतु में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

9- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत ग्राम-जसोई में जर्जर प्राइमरी स्कूलों के निर्माण हेतु समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in